न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 73/2012
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 27.02.2019

1. किशन पि. गिर्राज जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
2. रतन पि. गिर्राज जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
3. कमल पि. गिर्राज जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
4. राधेश्याम पि. गिर्राज जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– प्रतिवादी

उपस्थितः– 1. श्री अशोक कुमार एण्ड
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बरान 42 रकवा 0.45, 43 रकवा 0.25, 72 रकवा 0.41, का सम्पूर्ण हिस्सा व आराजी ख.न. 188 रककवा 0.22, 189 रकवा 0.14, 190 रकवा 0.01, 192 रकवा 0.01, 193 रकवा 13 का हिस्सा 1/2 हिस्सा का 38 रकवा 1.14, 41 रकवा 0.33, 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34, 246 रकवा 0.57 का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम नगला पहाड़ खां तहसील नदबई पर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है। हाल आराजी ख.न. 42,43,72,188,189,190,192,193,38,41,175,185,246 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से साबिक ख.न. 34, 58, 151, 153, 154, 156, 31, 33, 139, 152, 192 से बने है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 से पहले उक्त साबिक ख.न. के साबिक खसरा नम्बरान 32, 54, 139, 140, 141, 29, 31, 134, 142, 163 से बने है। साबिक ख.न. 32,54,139,140,141,29,31,134,142,163 के व संवत 2011 में वादीगण के पिता गिर्राज पुत्र कजौड़ी जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई खातेदार काश्तकार था और संवत 2011 से आज तक वादीगण के पिता एवं वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद विरासतन वादीगण काबिज होकर आज तक खातेदार की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन रेवेन्यु रिकार्ड में गैर खातेदार के इन्द्राज चले आ रहे है।

संवत 2011 में वादीगण के पिता गिर्राज व वादीगण की पिता की मृत्यु के बाद वादीगण स्वयं के नाम विरासतन गैर खातेदारी के अंकन चले आ रहे है। तथा विवादित आराजी से वादीगण को आज तक बेदखल भी नही किया गया है। इसलिए वादीगण का कानून विवादित आराजी पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से वर्तमान में विवादित आराजी पर गैर खातेदार के अंकन हो रहा है। अतः वादीगण विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदारी के इन्द्राजात करा पने के अधिकारी है। वादीगण विवादित अराजी पर रिकार्ड में गलत तरीके से गैर खातेदारी के इन्द्राजत होने के कारण प्रतिवादी के कर्मचारियो हल्का पटवारी ने हम वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर दिनांक 03.05.12 को राज लेने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादी उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो हम वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी अतः हम वादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दावामी की डिक्री सेपाबन्द कराने के अधिकारी है।

अत प्रार्थना कि विवादित आराजी पर वादीगण के नाम होरहे गैर खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदारी के इन्द्राजत दर्ज किया जावें। तथा वादीगण को विवादित आराजी का खातेदारकाश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलव किये गये। प्रतिवादी की तलवी होने पर पैरोकार सरकार उपथित हुऐ । प्रतिवादी को अपना जबाब दावा पेश करने हेतु कई मौके दिये जाने के बावजूद भी अपना जबाब पेश नही किया गया। तथा प्रतिवादी का जबाब दावा दिनांक 08.01.13 बंन्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा आपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सवत हाल 2066—69 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके नगला पहाड़ खां , नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमाबन्दी खैवट खतौनी संवत 2023 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमाबंन्दी एव मौखिक बयान के रूप मे राधेश्याम पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई , हरभान पुत्र रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई, मांगी पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई के ब्यान पेश किये गये।

बहस सुनी गई सुनी गई। हमने बहस पर ममन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि आराजी खसरा नम्बरान् 42 रकवा 0.45, 43 रकवा 0.25, 72 रकवा 0.41, का सम्पूर्ण हिस्सा व आराजी ख.न. 188 रककवा 0.22, 189 रकवा 0.14, 190 रकवा 0.01, 192 रकवा 0.01, 193 रकवा 13 का हिस्सा 1/2 हिस्सा का 38 रकवा 1.14, 41 रकवा 0.33, 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34, 246 रकवा 0.57 का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम नगला पहाड़ खां तहसील नदबई पर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है। हाल आराजी ख.न. 42,43,72,188,189,190,192,193,38,41,175,185,246 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से साबिक ख.न. 34, 58, 151, 153, 154, 156, 31, 33, 139, 152, 192 से बने है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 से पहले उक्त साबिक ख.न. के साबिक खसरा नम्बरान 32, 54, 139, 140, 141, 29, 31, 134, 142, 163 से बने है। तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 एवं 2060 वाके नगला पहाड़ खां पर गत खसरा एवं हाल खसरा नम्बरान का मिलान होता है। नकल जमाबंन्दी संवत 2023 के खाता न. 43, 46, 55, में कजौड़ी पुत्र भम्बू कौम गुर्जर गैर खातेदार एवं गिर्राज पुत्र कजौड़ी कौ गुर्जर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

गैर खातेदार तथा रघुनाथ पुत्र कजौड़ी कौम गुर्जर गैर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंन्दी संवत संवत 2028 में खता न. 38, 49 में कजौडी पुत्र भम्बू कौम गुर्जर गैर खातेदार एवं गिर्राज पुत्र कजौड़ी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। लगातार गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। और वादी के पिता की मृत्युके बाद वादी की खातेदारी में गैर खातेदार चेल आ रहा है। तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। और विवादित आराजी से प्रतिवादी ने आज तक बेदखल भी नही किया गया है। मौखिक बयान के रूप मे राधेश्याम पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई , हरभान पुत्र रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई, मांगी पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई के ब्यान से स्पष्ट है कि वादी संवत 2011 से लगातार गैर खातेदार चल रहा है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा कोई भी दास्तावेजी साक्ष्य एवं मोखिक साक्ष्यपेश नही किया गया।

इस प्रकार दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है। अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान् 42 रकवा 0.45, 43 रकवा 0.25, 72 रकवा 0.41, का सम्पूर्ण हिस्सा व आराजी ख.न. 188 रककवा 0.22, 189 रकवा 0.14, 190 रकवा 0.01, 192 रकवा 0.01, 193 रकवा 0.13 का हिस्सा 1/2 हिस्सा का , 38 रकवा 1.14, 41 रकवा 0.33, 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34, 246 रकवा 0.57 का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम नगला पहाड़ खां तहसील नदबई पर गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

(नीरज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Web Copy - Not Official